पत्रांक–14 / विविध–13 / 2004– 2442(14)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– 24 नवम्बर, 2004

विषय– **लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय चिकित्सा के सम्बंध में ।**

लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तब्य के दौरान घायल चुनाव कर्मियों के घायल हुए स्थान से सरकारी चिकित्सालय, निबंधित नर्सिंग होम और निबंधित वाह्य चिकित्सकों में से जो निकटतम होंगे वहीं प्रारम्भिक चिकित्सा करायी जायगी तथा आवश्यकतानुसार सम्बंधित चिकित्सक के परामर्श पर अन्य चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा कराई जायगी । तत्पश्चात् चिकित्सा व्यय पर हुए वास्तविक राशि की गणना एवं इसकी प्रतिपूर्त्ति की अनुशंसा सम्बंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जायगी ।

2. ऐसी अनुशंसा के आधार पर प्रतिपूर्त्ति की जानेवाली राशि और 1,00,000/– (एक लाख) रूपये दोनों में जो भी कम हो, सम्बंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत्यादेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायगा तथा स्वीकृत्यादेश में सन्निहित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की राशि की निकासी सम्बंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायगी और उनके द्वारा राशि का भुगतान किया जायगा ।

3. इसके बावजूद सरकारी कर्मियों के मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति के लिए जो नियम निरूपित है वे लागू रहेंगे ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पी० के० अनिल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 2442(14) पटना, दिनांक– 24 नवम्बर, 2004

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 2442 (14) पटना, दिनांक– 24 नवम्बर, 2004

प्रतिलिपि – सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 2442(14) पटना, दिनांक– 24 नवम्बर, 2004

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 10 प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव

M8\Dept.\Sec.-14\Resolution\Ellec. for Lok Sabha